न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 80/2017

1. विष्णू } पुत्रान भगवती } जाति काछी निवासीयान गुलरघटा, धाधूपुरा तह0 व जिला करौली राज0
2. ब्रहम्मा
3. मानबाई बेवा भगवती

अपी0

बनाम

1. कृष्ण मुरारी पुत्र पन्ना } जाति काछी निवासीयान गुलरघटा, (धाधूपुरा) तह0 व जिला करौली।
2. भगवती बेवा पन्ना
3. बद्री पुत्र पन्ना
4. लखन पुत्र पन्ना
5. राजू पुत्र पन्ना
6. छोटी बेवा गोविन्द
7. भगवान सिंह पुत्र गोविन्द
8. हजारी पुत्र कचंन
9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसीदार करौली एवं सब रजिस्ट्रार

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली मु0न0 132/16, निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.16 एवं फाईनल डिक्री व निर्णय दिनांक 19.05.2017)

उपस्थित अभिभषाक
1. अपी0 की ओर से श्री श्याम प्रकाश गर्ग
2. रेस्पो0 सं. 01 ल0 07 की ओर से रामनिवास शर्मा
3. रेस्पो0 सं. 08 की ओर से श्याम सुन्दर शर्मा

निर्णय दिनांक 12.01.2021

12.1.21
राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 132/16 निर्णय दिनांक 19.05.2017 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0/वादी द्वारा एक वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत [illegible] रकबा 01 विस्वा गैरमुमकिन चाह व ख0नं0 546 रकबा 01 [illegible] एवं ख0नं0 559 रकबा 3 बीघा 3 विस्वा कुल कीता 3 कुल रकबा 3 बीघा 5 विस्वा ग्राम [illegible]धूपुरा पटवार हल्का गुनेसरा भू0अभिलेख गुनेसरा तहसील करौली [illegible] प्रतिवादीगण एक ही हि[illegible] परिवार के सदस्य है उक्त आराजी हम फरीकेन वादी व प्रतिवादी की पैतृक है जिसमें मुझ वादी का 1/28 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 01 व 02 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 03 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 04 ल0 09 का 06/28 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10 का 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी इन्द्राज है। उक्त आराजी का पक्षकारान में आज तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 13:33:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बंटवारा नहीं हुआ है। और आराजी पर संयुक्त तौर पर काबिज काश्त रह कर अपने–अपने हिस्से के अनुसार फसल काश्त कर फसल लाभ लेते चले आ रहे है। उक्त दोनो चाह से आराजी की हम पक्षकारान सिंचाई हिस्से अनुसार करते है। उक्त आराजी का बिना बंटवारा कराये किसी भी पक्ष को विशिष्ट हिस्से का उपयोग करने व रहन बय करने एवं वादी के शामलाती कब्जे काश्त में व्यवधान करने का अधिकार नहीं है किन्तु प्रतिवादी लड़ाकू किस्म के है और ताकत के बल पर आराजी के अधिक भूमि पर कब्जा करने व विक्रय करने एवं निर्माण करने पर अमादा है। जिसकी प्रतिवादी द्वारा वादी को ऐलानिया धमकी दिनांक 16.11.2014 को दी तब वादी ने यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है। वादी विवादित आराजी के अपने हिस्से का प्रतिवादीगण से बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा कराकर लगान अलग से कायम कराने व खातेदारी अलग से कायम कराने का अधिकारी हैं और प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। इसलिए वादी ने दावा वादी डिक्री किये जाने की इस्तदुआ चाही जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी ने यह अपील पेश की है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपी0 के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया है कि तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जेर अपील तथ्यों व कानून के खिलाफ होने के कारण मंसूखा होने योग्य है। अपी0 को अदालत मातहत द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी। अपी0 को अदालत के सम्मन नहीं लगे है ना ही सम्मन तामील हुये है। अपी0 के हस्ताक्षर तामील पर तामील कुनिन्दा द्वारा रेस्पो0 से मिल कर फर्जी हस्ताक्षर कर तामील कराई गयी है। सम्मन की पुस्त पर हम अपी0 के कोई हस्ताक्षर निशानी नहीं है। रेस्पो0 दीवानी/फौजदारी अदालत में कर्मचारी है और उसके द्वारा तामील कुनिन्दा से मिल कर फर्जी हस्ताक्षर किसी अन्य व्यक्ति से करा लिये है। अपी0 के खिलाफ अदालत मातहत ने इकतरफा में हमें बिना सुने, बिना जबावदेही व बिना सबूत लिये निर्णय किया है। हम अपी0 की ओर से अदालत मातहत ए.सी.एम. करौली मे हमारी ओर से उनवानी दावा विष्णु बनाम भगवती वगै0 मु0नं0 213/2008 न्यायालय एस.डी.ओ. करौली, दिसम्बर 2008 से लम्बित है जिसमें रेस्पो0 की ओर से वकील नियुक्त कर जबाव पेश किया हैं और वह दावा आज भी न्यायालय ए.सी.एम. करौली में लम्बित है। उस दावे के लम्बित रहते हुये रेस्पो0 द्वारा दौराने दावा सन् 2014 में नया दावा जेर अपील पेश कर हमारी [illegible] तामील करा कर हमें नुकसान पहुंचाने की गरज से इकतरफा में डिक्री करा लिया जो मंसूख होने योग्य है। हमारे दावे को छिपा कर नया दावा पेश कर डिक्री कराया गया है। रेस्पो0 उसी दावे में काउण्टर क्लेम पेश कर सकता था। अदालत मातहत ने बंटबारे के लिये गिरदावर को नियुक्त किया था जब कि नियमानुसार तहसीलदार या नायब तहसीलदार ही बटबारे के लिये कमिश्नर नियुक्त किया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 13:33:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सकता है। बंटबारा स्कीम बनाने से पहले हम अपी0 को बटबारा करने के सम्बन्ध में कोई नोटिस नही दिया गया और रेस्पो0 से मिल कर उसकी उपरिथति में उसके अनुसार बटवारा स्कीम बनाई गयी है जो कानूनन गलत है। सरस नरस के अनुसार वटंबारा नहीं किया गया है। अच्छी व समतल जमीन रेस्पो0 को दी गयी है। हमारे मध्य पहले से वहामी बटबारे हो रहे है जिसे बटबारा स्कीम बनाते वक्त नजर अंदाज किया गया है। बंटबारा स्कीम बनाते समय मौके पर रास्ता नहीं दिया गया है प्रत्येक हिस्सेदार को उसके हिस्से में जाने के लिये रास्ता दिया जाना आवश्यक है। अपी0 को दावा के पेश होने व निर्णय व डिक्री जेर अपील की कोई जानकारी नहीं है दिनांक 11.07.2017 को रेस्पो0/वादी बद्री द्वारा कहने पर कि "मैंने दावा डिक्री करा कर अच्छी जमीन ले ली है और इस पर कब्जा करूंगा" कहने पर हुई। दिनांक 11.07.2017 से पहले कोई जानकारी नहीं थी अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 स्वीकार फरमाया जावें। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने साजशी तौर पर कानून के प्रावधानों की अवहेलना कर फाईनल डिक्री रेस्पो0 के हक में पारित की है। इसलिए अपील स्वीकार फरमायी जाकर आदेश व डिक्री अदालत मातहत सहायक कलक्टर, करौली का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमावे।

12.1.21

4. रेस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने बहस अपील में तर्क प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया कि विवादित आराजी खं0नं0 559 रकबा 3 बीघा 3 विस्वा से अपी0 का कोई संबन्ध नहीं है। विवादित भूमि खं0नं0 559 रकबा 3 बीघा 3 विस्वा भूमि का पूर्वजों के समय से पक्षकारान में वहामी मोखिक बंटबारा हो रहा है। जिसमें रेस्पों0 सं. 01 ल0 07 अपने 1/4 हिस्से पर एवंम् रेस्पो0 सं. 08 अपने 1/4 हिस्से भूमि पर एवं अपी0 1/2 हिस्से पर काबिज है। रेस्पों0 के हिस्से 1/2 पर मकानात रिहायशी कच्चे पाटौरपोश व पक्के चीरीपोश मकानात बने हुये है। जिनमें पूर्वजों के समय से ही रिहायश करते चले आ रहे है एवं मवेंशीयॉ बांधते चले आ रहे है एवं अपी0 अपने 1/2 हिस्से भूमि में काश्त करते चले आ रहे है। पूर्व के बने हुऐ 50X50 वर्गफीट में कोई नवीन मकान निर्माण नहीं करवा रहे है। पूर्व के बने हुऐ जो मकानो में ही रिहायश करते चले आ रहे है रेस्पो0 नं0 01 ल0 07 अपने 1/4 हिस्सा भूमि पर काबिज काश्त है एवं कोई अवैध निर्माण नहीं कर रहे है। अपी0 वहीं पर रहते है, अपी0 के परिवार में काफी सदस्य है जहॉ कोई न कोई व्यक्ति हमेशा उपस्थित रहता है। अपी0 ने हम रेस्पो0 को नाजायज तंग व परेशान करने की गरज से यह झूठा व निराधार तथ्यों पर अपील पेश की है। रेस्पों0 के द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य कराने, काश्त करने, जोतने, बोने का पूर्ण हक व अधिकार हॉसिल है। वहामी बंटबारा [illegible] अनुसार काबिज काश्त है। रेस्पों0 सं0 01 ल0 07 अपने मोखिक बंटबारे में आयी भूमि पर निर्माण एवं उसमें बनी हुई कच्ची व पक्की मकानियत पर पूर्व से ही काबिज चले आ रहे है। विवादित आराजी का मौके पर पूर्व से वहामी बंटबारे द्वारा पूर्वजो के समय से ही बंटबारा हो रहा है और दोनो पक्ष अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। निर्णय में कोई गलती नहीं हुयी है। अदालत मातहत का निर्णय पूर्ण विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 18:33:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया, पत्रावलीयों का [illegible] अवलोकन किया।

प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम [illegible] किया जाता है।

नकल जमाबंदी संवत 2071 वाके ग्राम [illegible], करौली के खतौनी सं0 172 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 542, 546, 559 विष्णु, ब्रह्मा पिसरान भगवती मानबाई बेवा भगवती हिस्सा 3/8 मानबाई बेवा भगवती हिस्सा 1/8 भगवती बेवा पन्ना बद्री, लखन, कृष्ण मुरारी, राजू पिसरान पन्ना छोटी बेवा गोविंद भगवान सिंह पुत्र गोविन्द हिस्सा 1/4 हजारी पुत्र कंचन हिस्सा 1/4 जाति काछी अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल वाद सं0 213/08 विष्णु वगै0 बनाम भगवती वगै0 बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा के अनुसार पक्षकारों के मध्य वाद जैरकार है। इस वाद में आदेशिका दिनांक 09.02.2009 में अभिलिखित है कि "प्रतिवादी सं0 01 से 08 की ओर से श्री गोपाल लाल गुप्ता एड0 ने वकालतनामा पेश किया" दिनांक 11.08.2015 को प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश किया है। उक्त वाद विवादित आराजी के पक्षकारों के मध्य बंटवारा किये जाने व स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत [illegible] किया गया है। अपीलाधीन आदेश का वाद सं0 132/2016 कृष्ण मुरारी बनाम विष्णु वगै0 दिनांक 20.11.2014 को दायर किया गया है। कृष्ण मुरारी पूर्व में विचाराधीन वाद 213/08 में प्रतिवादी सं0 4 दर्ज है। वाद सं0 213/08 भी बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है, इसका तात्पर्य है कि पक्षकारों के मध्य पूर्व में ही समान आराजी को लेकर वाद जैरकार था, जिसमें प्रतिवादी सं0 4 रेस्पो0 सं0 1 के अभिभाषक ने वकालतनामा व जवाब पेश किया गया है। पूर्व में समान पक्षकारों के मध्य समान आराजी को लेकर वाद विचाराधीन होते हुए भी दूसरा वाद प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक वाद के विचाराधीन रहते हुए दूसरे वाद को निर्णित (डिक्री) किया है यह विधि सम्मत नहीं है। रेस्पो0/वादी को कोई भी कथन करना था तो जैरकार वाद में किया जा सकता था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2016 को वाद प्राथमिक डिक्री किया गया है जिसमें भूमि अभिलेख गुनेसरा को कमीश्नर नियुक्त कर आदेश दिये है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में आराजी का बंटवारा प्रस्ताव दो प्रतियो में तैयार कर न्यायालय में भिजवाये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक से बंटवारा स्कीम मंगवाया जाना भी राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के प्रावधानों के [illegible] नहीं है। भू अभिलेख निरीक्षक को उभयपक्ष की उपस्थिति में बंटवारा स्कीम तैयार करने [illegible] निर्देशित किया है परन्तु पत्रावली पर यह दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट [illegible] भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दोनो पक्षो की उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी कार्यवाही विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है। इसिलिए अपील पुनःप्रेषित करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 13:33:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का मु0नं0 12/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2016 व फाइनल डिक्री व निर्णय दिनांक 19.05.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण विचारणीय न्यायालय को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वाद के पूर्व में जैरकार रहते हुए दूसरा वाद प्रस्तुत करना व निर्णित करने के बिन्दु का विधिक प्रावधानो के अनुरूप विश्लेषण कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व नियमो के परिपेक्ष्य में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विस्तृत आदेश पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली के यहाँ दिनांक 25.2.2021 को उपस्थित होवे।

9. निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.1.21

(बी.एल.रमण)

राजस्व अपील प्राधिकारी

सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 13:33:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner